विलोपित विलोपित विलोपित

(9x)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2012 निगरानी — 2425-II/12

श्री रामसेवक शर्मा अधि. द्वारा आज दि. 1/8/12 को प्रस्तुत
1-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

लल्लन पुत्र रत्तू अहिरवार
निवासी तेरियामार, तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर (म.प्र.) ----आवेदक

बनाम

1— रविमोहन पुत्र शिवमोहन सिन्हा
निवासी तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

2— भगवानदास पुत्र मकुन्दा यादव
निवासी तेरियामार, तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर (म.प्र.)

3— मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा—50(1) म.प्र.भू.राजस्व संहिता—1959 नये संशोधन अधिनियम 2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.2010 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार बकस्वाहा प्र.क. 9/अ—3/11—12 रविमोहन बनाम म.प्र.शासन के निर्णय से दुखित होकर।

श्रीमान जी,

आवेदक का निगरानी आवेदन—पत्र निम्न प्रकार पेश है:—

1— **प्रकरण के तथ्य:—**

यहकि, अनावेदक कमांक—1 रविमोहन द्वारा एक आवेदन प्रकरण मे वर्णित भूमि खसरा नम्वर 124/19, 141/8, 141/15, कुल किता—3 कुल रकवा 2.195 के सम्बन्ध में नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें न तो आवेदक को पक्षकार बनाया गया न इश्तहार व उदघोषणा कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2425/दो/2012 जिला-छतरपुर

लल्लन अहिरवार विरूध रविमोहन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बकस्वाहा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 9/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31/12/2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	